

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 197 व 198/2015..... जिला : राजसमन्द

मैसर्स मिराज बिजनिस डेवलपमेन्ट प्रा.लि., नाथवाडा जिला राजसमन्द बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्-तृतीय, जयपुर व अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

11.02.2015

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
आशा कुमारी, सदस्य

अपीलार्थी की ओर से श्री एम.एल.पटोदी, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित संयुक्त स्थगन आदेश दिनांक 23.01.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आदेशों में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा गया है) द्वारा पारित पृथक—पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.11.2014, जो अधिनियम की धारा 25, 55,65 व 61 के तहत निर्धारण वर्ष 2011–12 व 2012–13 के लिये पारित किये गये हैं, जिसमें निम्न तालिका के अनुसार कर, ब्याज एवं शास्तियों आरोपित की गई है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष रोक आवदेन पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति राशियों में से 50 प्रतिशत राशि स्थगित करते हुए शेष शास्ति राशि, कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए आंशिक रूप से स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान निम्न तालिका में अंकित स्थगन हेतु आवेदित राशियों पर रोक लगाये जाने की प्रार्थना की गई :—

अ. सं.	अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित की गई राशि	स्थगन हेतु आवेदित राशि
197 / 15	21,30,844 /—	6,32,298 /—	14,35,316 /—
198 / 15	24,37,500 /—	7,50,000 /—	16,12,500 /—

उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्रों में स्थगन हेतु आवेदित राशियों में से उपरोक्त तालिका के अनुसार अंकित राशियों पर स्थगन प्रदान करते हुए शेष राशि के स्थगन को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2015 में अंकित नहीं किया गया है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली राशि अर्थात् कर बोर्ड के समक्ष

A.R

स्थगन हेतु आवेदित राशियों (उपरोक्त तालिका में अंकित स्थगन हेतु आवेदित राशि) की वसूली पर कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्पभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया

(आशा कुमारी)

सदस्य

(सुनील शर्मा)

सदस्य